

ग्राम नादर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 अक्टूबर, 2022

मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी



जयपुर से जोग तिक्की प्रदीप महता का सबको शमशम/सलाम! देश में राजस्थान सहित कई राज्यों में लंपी वायरस नामक बीमारी मर्वेशियों में खास्तौर पर गोवंश पर कहर दा रही है। मानसून की शुरुआत से ही इस बीमारी का प्रकोप बड़ी तेजी से बढ़ा है। राजस्थान में ही जहां हजारों की संख्या में मर्वेशी इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं वहाँ बड़ी संख्या में हो रही गायों की मौत ने लोगों के दिलों को ढहला दिया है।

राहत से भरी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर बड़े स्तर पर इस बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने की कोशिशों में लड़ी है। वैज्ञानिकों ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए एक स्वदेशी टीका विकसित किया है। देश के कई राज्यों में इस बीमारी से पशुधन का बड़ा नुकसान हुआ है।

'कट्स' की याचिका पर एनजीटी का फैसला

धनि प्रदूषण रोकने के लिए राज्य सरकार को सख्त निर्देश

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राज्य सरकार को वाहनों के हॉर्न से होने वाले धनि प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने व नियमों की पालना करने के आदेश दिए हैं। एनजीटी ने कहा है कि वाहन निर्माता को बिक्री के स्थान और तकनीकी प्रचार सामग्री में वाहनों के धनि स्तर के बारे में जानकारी देनी होगी। उन्हें धनि के स्तर को अपनी बेवाइट पर भी प्रदर्शित करना होगा। जनता चैन से सो सके, इसके लिए एनजीटी ने प्रदेश में आवासीय क्षेत्रों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक नो हाँचिंग जोन खने के निर्देश भी दिए हैं।

इसके अतिरिक्त अनावश्यक हॉर्न बजाने वालों को 5,000 रुपए से दंडित कर उत्तराश एक कोष में डाली जाने व उस अपराध की पुनारावृत्ति पर अपार्टी से 10,000 रुपए की राशि दण्ड स्वरूप वसूलने और हॉर्न बजाने के उपकरण को जब्त करने का भी निर्देश दिया है।

धनि प्रदूषण रोकने के लिए 'कट्स' की याचिका पर फैसला देते हुए एनजीटी ने 'कट्स' को इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा है, जिससे स्थानीय प्रशासन के साथ वेलफेयर एसोसिएशन सोसायटीज व समाजिक संगठनों को शामिल करने को कहा है।

एनजीटी भोपाल की बैंच में 'कट्स' के अधिकारी जीने का अधिकार शामिल है। किसी भी तरह की तेज आवाज जिससे व्यक्ति की शांति व आराम में वाधा पहुंचे, यह अधिकारों का हनन है। याचिका में धनि प्रदूषण रोकने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी के पूर्व फैसलों की पालना करवाने की गुहार की।

सांप काटने से आया था अटैक; बीमा कंपनी क्लेम दें

दौसा जिले के नांगल राजावतान निवासी मुकेश मीना ने राज्य उपभोक्ता आयोग में बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ, जिला उपभोक्ता आयोग दौसा के आदेश को चुनौती देते हुए अपील दर्ज कराई। मीना ने राज्य आयोग को बताया कि पिता लल्लूराम ने 17 जून 2014 को 10 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कराया था। सांप के काटने से उनके पिता की मौत हो गई। उन्होंने क्लेम का दावा किया, लेकिन कंपनी ने डेथ अटैक से कहकर क्लेम खारिज कर दिया। जिला उपभोक्ता आयोग ने भी बीमा कंपनी को सही माना, जबकि उनकी मृत्यु सांप काटने से हुए अटैक के कारण हुई थी।

मामले की सुनवाई पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने सांप के काटने से आए अटैक के चलते हुई बीमित व्यक्ति की मौत को नेचुरल मृत्यु की बजाय एक्सीडेंटल मृत्यु माना। आयोग ने कहा बीमित व्यक्ति लल्लूराम को सांप के काटने से अटैक आया था। राज्य आयोग ने बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वह परिजनों को 10 लाख रुपए नौ फैसली व्याज सहित दे। इसके अलावा 20 हजार रुपए मानसिक परेशानी व परिवाद खर्च के भी दिए जाएं।

दौसा जिले के नांगल राजावतान निवासी मुकेश मीना ने राज्य उपभोक्ता आयोग में बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ, जिला उपभोक्ता आयोग दौसा के आदेश को चुनौती देते हुए अपील दर्ज कराई। मीना ने राज्य आयोग को बताया कि पिता लल्लूराम ने 17 जून 2014 को 10 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कराया था। सांप के काटने से उनके पिता की मौत हो गई। उन्होंने क्लेम का दावा किया, लेकिन कंपनी ने डेथ अटैक से कहकर क्लेम खारिज कर दिया। जिला उपभोक्ता आयोग ने भी बीमा कंपनी को सही माना, जबकि उनकी मृत्यु सांप काटने से हुए अटैक के कारण हुई थी।

मामले की सुनवाई पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने सांप के काटने से आए अटैक के चलते हुई बीमित व्यक्ति की मौत को नेचुरल मृत्यु की बजाय एक्सीडेंटल मृत्यु माना। आयोग ने कहा बीमित व्यक्ति लल्लूराम को सांप के काटने से अटैक आया था। राज्य आयोग ने बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वह परिजनों को 10 लाख रुपए नौ फैसली व्याज सहित दे। इसके अलावा 20 हजार रुपए मानसिक परेशानी व परिवाद खर्च के भी दिए जाएं।

'भारत' ब्रांड के तहत बिकेंगे उर्वरक

उर्वरकों की चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए केंद्र ने प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना के तहत एक देश एक फार्टिलाइजर योजना लागू की है। इससे आमामी खादी सीजन में किसानों को एक जैसी खाद मिलेगी। यह कंपनियों के बजाय भारत ब्रांड नाम से जानी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके 'भारत' ब्रांड के नाम से उपलब्ध होंगे।

केंद्र ने यह निर्देश सभी उर्वरक कारखानों, ट्रेडिंग और मार्केटिंग कंपनियों को दिया है। खाद की बोरी पर एक साइड के दो तिहाई हिस्से पर नए ब्रांड और लोगों का उल्लेख होगा। बाकी एक तिहाई में कंपनी अपना व्योरा और निर्धारित तथ्य प्रिट करेगी। हर बोरी पर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना छपा रहेगा। खाद की बोरियों पर दर्ज प्रतीक चिन्ह (लोगो) से यह स्पष्ट हो जाएगा कि उर्वरक केंद्रीय सर्विसी बाली है।

नई पहल: किसानों की बढ़ेगी आय

किसानों की आमदानी बढ़ाने के लिए नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) अब दूध के साथ गाय-भैंस का गोबर भी खरीदेगी। इसके लिए सरकार द्वारा 9.50 करोड़ रुपए की लागत से एनडीडीबी मृदा लिमिटेड नाम से एक कंपनी का गठन किया गया है, जो नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड की सहयोगी कंपनी होगी।

केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कंपनी की शुरुआत करते हुए दी है। इस नई पहल के तहत कंपनी गाय-भैंस के गोबर से बिजली, बायोगैस और जैविक खाद बनाएगी। उन्होंने बताया कि जैविक खाद को एक सापान्य पहचान प्रदान करने के लिए सुधान नाम से ट्रेडमार्क भी रजिस्टर किया गया है। इस प्रोडक्ट का कोरोबार 'सुधान' के नाम से किया जाएगा।

लंपी वायरस का स्वदेशी टीका तैयार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकारें मर्वेशियों में डेलेक्टर त्वचा रोग (लंपी स्किन डिजीज) के प्रसार को नियंत्रित करने की कोशिशों में जुटी हैं। इसकी रोकथाम के लिए एक स्वदेशी टीका विकसित किया गया है।

उन्होंने कहा हम 2025 तक पशुओं के 100 प्रतिशत टीकाकरण के लिए प्रतिक्रिया है। कई राज्य मर्वेशियों में फैले इस रोग से जड़ा रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में लंपी वायरस नाम की इस बीमारी से पशुधन का नुकसान हुआ है। यह किसानों की आय को प्रभावित करता है।

जैविक उत्पादों को मिला ग्लोबल बाजार

भारतीय जैविक उत्पादों को ग्लोबल बाजार मिलने लगे हैं। इससे देश का जैविक उत्पादों का नियांत भी बढ़ रहा है। वर्ष 2019 से 2021 के बीच भारत ने अमरीका-यूरोप सहित कई देशों को 1.98 करोड़ टन जैविक उत्पादों का नियांत किया, किसानों को 20 हजार करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है।

नियांत में 50 फीसदी से भी अधिक उत्पाद अमरीका और 37 फीसदी का इस्तेमाल किया जाएगा। विदेशों में भारतीय जैविक उत्पादों की मांग बढ़ी है और उम्मीद है वर्ष 2025 तक इसका वैश्विक बाजार 150 अरब डॉलर हो जाएगा।

निरक्षरों के लिए होगी डिजिटल कक्षा

निरक्षरों की पदार्ड अब आधुनिक तरीके से होगी। अब उनके हाथों में स्लेट-पैसिल नहीं होगी बल्कि डिजिटल कक्षा तैयार होगी। अध्ययन सामग्री भी मोबाइल के माध्यम से दी जाएगी। परीक्षा भी ऑनलाइन होगी।

इसके लिए पहली बार 11 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। राज्य में इस पर काम शुरू कर दिया गया है। इस बार पांच लाख निरक्षरों को साक्षर बनाया जाने का लक्ष्य है। इसके लिए 48 हजार स्वयंसेवक तैयार किए ग